

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 186/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर-302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अमित शर्मा।
प्रार्थी

बनाम

1. राजा राम सैनी पुत्र श्री रामधन सैनी पता:- 85, ढाणी अट्टा माली, बाजोरी भांडारेज, तहसील व जिला दौसा -303501 राज0
2. गिरधारी लाल सैनी पुत्र श्री ग्यारसीलाल सैनी पता:- 85, ढाणी अट्टा माली, झांपड़ावास , बाजोरी भांडारेज, तहसील व जिला दौसा -303501 राज0
3. बनवारी लाल सैनी पुत्र श्री जौहरीलाल सैनी पता:- अट्टा वाली ढाणी, भांडारेज तहसील व जिला दौसा -303501 राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक:: 01.10..2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री राजा राम सैनी पुत्र श्री रामधन सैनी पता:- 85, ढाणी अट्टा माली, बाजोरी भांडारेज, तहसील व जिला दौसा -303501 राज0 व अन्य को 13,00,000/- (रुपये तेरह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा बंधक रखी गई राजाराम सैनी पुत्र श्री रामधन सैनी की सम्पत्ति खसरा नम्बर 4137/1 में से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित 200 वर्गमीटर भूमि स्थित ग्राम अट्टा बिजोरी ग्राम पंचायत भांडारेज तहसील व जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(A)

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

